भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 2555
मंगलवार, 10 अगस्त, 2021/19 श्रावण, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

साहसिक पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा

2555. डा. अमी याज्ञिक:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान देश में अनेक साहसिक पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के लिए दी गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों में साहसिक पर्यटन स्थलों के लिए नए स्थलों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन का विकास और संवर्धन, साहसिक पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाने तथा साहसिक पर्यटन के लिए नए स्थलों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना, मुख्य रूप से राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय ने 365 दिनों के गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने और विशिष्ट रुचि वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साहसिक पर्यटन को एक आला पर्यटन उत्पाद के रूप में मान्यता दी है।

उपरोक्त के अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक टूर ऑपरेटरों के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं और साथ ही पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें स्वदेश दर्शन योजना के तहत साहसिक पर्यटन स्थलों सहित पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास भी शामिल हैं। देश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए बुनियादी न्यूनतम मानकों के रूप में जाने जाने वाले सुरक्षा और गुणवत्ता मानदंडों पर दिशानिर्देशों का एक सेट भी तैयार किया गया है।

*****